छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

विज्ञापन क्रमांक 01@2012@चयन@दिनांक 21@12@2012 | वेब प्रकाशन की तिथि - 22.12.2012 | प्रकाशन की तिथि 26@12@2012

ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि दिनांक 24@12@2012 अपरान्ह 12:00 बजे से दिनांक 22@01@2013 रात्रि 12:00 बजे तक

महत्वपूर्ण

1. पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को ही आवेदन करना चाहिए। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा चाहे वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। अभ्यर्थी को प्रवेश–पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थिता आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। लिखित परीक्षा/साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी के चिन्हांकन के बाद ही आयोग पात्रता शर्तों की जाँच करता है।
3. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। जो अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन सुविधा केन्द्र (Facilitation Centre) के माध्यम से करेंगे उन्हें परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क सुविधा केन्द्र (Facilitation Centre) को नगद में देना होगा। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक के ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
4. उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 24/12/2012 को दोपहर 12.00 बजे से 22/01/2013 रात्रि 12.00 बजे तक www.psc.cg.gov.in पर किए जा सकेंगे।
5. ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद से 10 दिवस के भीतर अर्थात् दिनांक 23/01/2013 अपरान्ह 12.00 बजे से 01/02/2013 रात्रि 12.00 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। इस हेतु रुपये 30/– त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। अभ्यर्थी द्वारा त्रुटि सुधार शुल्क (रुपये 30/–) का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। अभ्यर्थी त्रुटि सुधार हेतु सुविधा केन्द्र (Facilitation Centre) की सेवाओं का भी उपयोग कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी त्रुटि सुधार सुविधा केन्द्र (Facilitation Centre) के माध्यम से करेंगे उन्हें त्रुटि सुधार शुल्क (रुपये 30/–) सुविधा केन्द्र (Facilitation Centre) को नगद में देना होगा।
6. श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रुप में भरे गये अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि रुपये 100/– का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रुप में भरे गये ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

¼1½ भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से छत्तीसगढ़ शासन के i'kq fpfdRlk ,oa i'kq/ku fodkl foHkkx के अंतर्गत ^i'kq fpfdRlk lgk;d 'kY;K** के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पदों का विवरण नीचे की तालिका में दर्शित हैः–

सरल क्रमांक	पद तथा विभाग का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में विकलांग के लिए वर्गवार आरक्षित पद				;ksx
		अना–रक्षित	अनु–सूचित जाति	अनु–सूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अना–रक्षित	अनु–सूचित जाति	अनु–सूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अना–रक्षित	अनु–सूचित जाति	अनु–सूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
01	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ i'kq fpfdRlk ,oa i'kq/ku fodkl foHkkx	49 02 (अग्रणित विकलांग)	45 31 (बैकलॉग)	62 26 (बैकलॉग)	30 14 (बैकलॉग)	14	12 08 (बैकलॉग)	20 09 (बैकलॉग)	09 04 (बैकलॉग)	04 02 (अग्रणित)	03 02 (बैकलॉग)	04 02 (बैकलॉग)	02 01 (बैकलॉग)	186
													dqy ;ksx %&	**186**

<u>egRoiw.kZ Vhi</u> :–

1- ink dh la[;k ifjorZuh; gSA

2- उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए किया जाने वाला चयन माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर याचिकाओं (क्रमांक 591/2012, रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 592/2012, रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 593/2012 तथा रिटी पिटीशन (सी) क्रमांक 594/2012) में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगी एवं माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किये गये पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।

3- fodykaxrk dk iwdkj&छ0ग0 के मूल निवासी दृष्टि बाधित/अस्थि बाधित/श्रवण बाधित विकलांग मान्य होंगे।

4- fjfDr;ksa esa vkj{k.k %&

¼i½ उपर्युक्त तालिका के कालम नं. 4, 5 एवं 6 में दर्शित पद केवल छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित हैं।

¼ii½ NÙkhlx<+ jkT; ds mi;qZDr Js.kh ds vfrfjDr vU; lHkh ¼NRrhlx<+ jkT; ds vukjf{kr ,oa NRrhlx<+ jkT; ds vfrfjDr vU; jkT; ds vH;FkhZ½ ds vkosnu vukjf{kr Js.kh ds vUrxZr vk,xsA

5- ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी <u>ifjf'k"V ^,d*</u> एवं सुविधा केन्द्रों की सूची <u>ifjf'k"V ^nks*</u> में उल्लेखित है।

6- <u>vkuykbu vkosnu Hkjus ds iwoZ vH;FkhZ fu;eksa dk voyksdu dj Lo;a lqfuf'pr dj ysa fd mUgsa ijh{kk esa lfEefyr gksus dh ik=rk gS vFkok ugha A ;fn dksbZ vH;FkhZ ijh{kk ds fdlh Hkh pj.k esa vFkok ijh{kkQy ?kksf"kr gksus ds ckn Hkh vugZ ¼**Ineligible**½ ik;k tkrk gS vFkok mlds }kjk nh xbZ dksbZ Hkh tkudkjh xyr ikbZ tkrh gS rks mldh vH;fFkZrk@p;u ifj.kke fujLr fd;k tk ldsxkA</u>

¼2½ in dk foojk.k ,oa osrueku %&

¼i½ in dk uke %& <u>i'kq fpfdRlk lgk;d 'kY;K</u>

¼ii½ lsok Js.kh %– jkti=r&f}rh; Js.kh

¼iii½ osrueku :i;s %& 15600&39100$xzsM is&5400@&

इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

Øe'k%

¼iv½ ifjoh{kk vof/k %& चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 2 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी।

¼3½ vko';d 'kS{kf.kd vgZrk,a %&

¼i½ भारत या विदेश के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक तथा भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 52) के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो।

egRoiw.kZ uksV%&

¼i½ vH;FkhZ dks ikl mi;qZDr vko';d 'kS{kf.kd vgZrkvksa ,oa iath;u dk ^^iek.k&i=** vkuykbu vkosnu djus gsrq fu/kkZfjr vafre frfFk vFkok mlds iwoZ izkIr dj fy;k gksuk pkfg,A vkuykbu vkosnu djus dh vafre frfFk ds ckn dh frfFk dk tkjh dh xbZ 'kS{kf.kd vgZrkvksa ,oa iath;u iek.k&i= ekU; ugha gksxkA

¼ii½ vkuykbu vkosnu ds lkFk dksbZ Hkh iek.k i= layXu djus dh vko';drk ugha gSA

¼4½ fu/kkZfjr vk;q lhek %& vH;FkhZ dh vk;q fnukad 01-01-2013 dks 21 o"kZ ls de rFkk 30 o"kZ ls vf/kd u gks] ijUrq NRrhlx<+ ds LFkkuh;@ewy fuoklh vH;FkhZ ds fy, mPprj vk;q lhek 30 o"kZ ds LFkku ij 35 o"kZ gksxhA

mPprj vk;q lhek esa NRrhlx<+ 'kklu] lkekU; iz'kklu foHkkx }kjk le;≤ ij tkjh fd;s x;s funsZ'kksa ds rgr fuEukuqlkj NwV dh ik=rk gksxh%&

¼i½ यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का होकर राज्य का मूल निवासी है, तो उसे उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

¼ii½ छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्क चार्ज या कांटिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।

¼iii½ ऐसा अभ्यर्थी जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा परन्तु उसके ifj.kkeLo:i mPpre vk;q lhek] rhu o"kZ ls vf/kd u gksA Li"Vhdj.k%&**NVuh fd;s x;s ljdkjh lsod** से तात्पर्य है जो इस राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु vkosnu nsus dh rkjh[k ls vf/kd ls vf/kd rhu o"kZ iwoZ LFkkiuk esa deh fd;s tkus ds dkj.k lsokeqDr fd;k x;k gksA

¼iv½ ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी ijUrq blds ifj.kkeLo:i tks vk;q fudys og mPprj vk;q lhek ls rhu o"kZ ls vf/kd u gksA

¼v½ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 1997 के अनुसार महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी।

¼vi½ सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ–1–2–/2002/ 1/3 दिनांक 02.06.2004 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में भर्ती के लिए उतने वर्ष की छूट दी जाएगी जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की है इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा को एक वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी rFkk ;g NwV vf/kdre 45 o"kZ dh vk;q lhek rd jgsxhA

¼vii½ स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालंटरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की mruh dkykof/k rd NwV vkB o"kZ dh lhek ds v/;k/khu jgrs gq, nh tk,xh] fdUrq fdlh Hkh n'kk esa mudh vk;q 38 o"kZ ls vf/kd ugha gksuh pkfg,A

¼viii½ विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये mPprj vk;q lhek esa 5 o"kZ dh NwV gksxhA

¼ix½ परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत अपने नाम पर ^^xzhudkMZ** /kkj.k djus okys vkosndksa ¼NRrhlx<+ jkT; ds vkosndksa½ dks mPprj vk;q lhek esa 2 o"kZ dh NwV nh tk,xhA

¼x½ आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी–3/10/85/3/1 दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

¼xi½ राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) में प्रचलित **'kghn jktho ik.Ms; iqjLdkj] xq.Mk/kj lEeku] egkjktk izohjpUnz Hkatno lEeku ikIr f[kykfM+;ksa rFkk jk"Vªh; ;qok iqjLdkj ikIr ;qokvksa** dks lkekU; mPprj vk;q lhek esa 5 o"kZ dh NwV nh tk,xhA

¼xii½ NRrhlx<+ flfoy lsok ¼lafonk fu;qfDr½ fu;e] 2004 ds fu;e&5 ds rgr lafonk ij fu;qDr 0;fDr;ksa dks 'kkldh; lsok esa vkosnu i= izLrqr djus gsrq fu/kkZfjr vf/kdre vk;q lhek esa mrus o"kZ dh NwV nh tk,xh] ftrus o"kZ mlus lafonk ds #i esa lsok dh gSA ;g NwV vf/kdre 38 o"kZ dh vk;q lhek rd jgsxhA

egRoiw.kZ Vhi%&

¼i½ NRrhlx<+ 'kklu] lkekU; iz'kklu foHkkx ds ifji= Øekad ,Q&3&2@2002@1@3 jk;iqj fnukad 15-06-2010 ds }kjk tkjh fd, x, funsZ'k ds ijk ¼3½ ds vuqlkj NÙkhlx<+ jkT; ds LFkkuh; fuoklh vH;fFkZ;ksa ds fy, vf/kdre vk;q 35 o"kZ gksxh] ijUrq mDr ifji= ds ijk ¼5½ ds vuqlkj vU; fo'ks"k oxZ tSls&NÙkhlx<+ ds fuoklh vuqlfpr tkfr] vuqlfpr tutkfr] vU; fiNM+k oxZ ¼xSj Øheh ys;j½ efgyk vkfn ds fy, vf/kdre vk;q lhek esa jkT; 'kklu }kjk tks NwV nh xbZ gS os NwV ;Fkkor ykxw jgsxh] rFkk lkekU; iz'kklu foHkkx }kjk vk;q ds lEcU/k esa le;≤ ij tkjh funsZ'kksa ds vk/kkj ij vH;fFkZ;ksa dks vk;q esa nh tkus okyh lHkh izdkj dh NwVksa dks lfEefyr djus ds ckn 'kkldh; lsok esa fu;qfDr gsrq vf/kdre vk;q 45 o"kZ ls vf/kd ugha gksxhA

¼ii½ vk;q dh x.kuk fnukad & 01-01-2013 ds lanHkZ esa dh tk,xhA

¼5½ vH;FkhZ vkuykbu vkosnu djus ds igys foKkiu esa nf'kZr vko';d 'kS{kf.kd vgZrkvksa ,oa vk;q ds vuq:i viuh vgZrk dh tkap dj Lo;a lqfuf'pr dj ys ,oa vgZrk dh leLr 'krksZa dks iwjk djus dh fLFkfr esa iw.kZr;k larq"V gksus ij gh os vkosnu&i= HkjsaA लिखित परीक्षा में सम्मिलित करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है तथा p;u ds fdlh Hkh Lrj ij vH;FkhZ ds vugZ ik;s tkus ij mldk vkosnu&i= fcuk dksbZ lwpuk fn;s fujLr dj mldh vH;fFkZrk lekIr dj nh tk,xhA

¼6½ lk{kkRdkj ds iwoZ okafNr nLrkostksa dk izLrqr fd;k tkuk%&

साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाणन फार्म के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों और अंकसूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसके परीक्षण उपरांत अभ्यर्थी की अर्हता (Eligibility) की जांच की जाएगी।

¼i½ आयु संबंधी प्रमाण के लिये सामान्यतः हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाण पत्र। अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

¼ii½ विज्ञापित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता से संबंधित समस्त सेमेस्टर/वर्ष की अंकसूची।

¼iii½ पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं का प्रमाण–पत्र यथा–

Øe'k%

स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि आदि जो संबंधित पद के लिए आवश्यक है, की स्वप्रमाणित अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियाँ। vH;FkhZ ;g lqfuf'pr dj ysa fd vkofnr in gsrq okfNr vko';d 'kS{kf.kd vgZrkvksa ls lacaf/kr izek.k i= vkosnu djus dh vafre frfFk rd vko';d :i ls izkIr dj fy;k gSA vkuykbu vkosnu i= Hkjus dh vafre frfFk ds ckn dh frfFk dks tkjh dh xbZ mikf/k@izek.k i= ekU; ugha fd;k tk,xkA

¼iv½ tkfr izek.k i= %&

¼a½ यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आता है तथा जो इस विज्ञापन के तहत दर्शित छूट (आयु/शुल्क/आरक्षण) का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर रहा हो, तो NRrhlx<+ 'kklu }kjk xfBr Nkuchu lfefr }kjk lR;kfir tkfr izek.k&i= izLrqr djuk gksxkA

¼b½ अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम लगा जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, एवं तद्नुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा।

¼c½ अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण केवल गैर क्रीमीलेयर के आधार पर ही देय है। गैर क्रीमीलेयर का निर्धारण वार्षिक आय के आधार पर होता है। अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमीलेयर के अन्तर्गत आने के प्रमाण हेतु ऐसा आय प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा जो आवेदन करने की तिथि से पूर्ववर्ती 3 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ हो।

¼d½ ;fn fu/kkZfjr mPprj vk;q lhek esa NwV pkgh xbZ gS rks fuEu nLrkost@izek.k i= vfuok;Zr% izLrqr djsa%&

¼i½ तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

¼ii½ विज्ञापन की कंडिका – **4¼i½, 4¼ii½, 4¼iii½, 4¼iv½, 4¼vi½**, एवं **4¼vii½** के अंतर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए सक्षम अधिकारी/नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण–पत्र।

¼iii½ विज्ञापन की कंडिका – **4¼viii½** के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए सब–डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण–पत्र।

¼iv½ विज्ञापन की कंडिका – **4¼ix½** के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए ग्रीनकार्ड।

¼v½ विज्ञापन की कंडिका – **4¼x½** के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिये जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/ राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र।

¼vi½ विज्ञापन की कंडिका – **4¼xi½** के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए "शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार" प्राप्त होने का प्रमाण–पत्र।

¼vii½ विज्ञापन की कंडिका – **4¼xii½** के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए "सक्षम अधिकारी द्वारा जारी संविदा अनुभव" का प्रमाण–पत्र।

¼7½ fu;ksDrk dk vukifRr izek.k&i= %&

¼i½ यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/मंडल/उपक्रम में कार्यरत हों अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हों या राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हों तो वे ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं, परन्तु ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अथवा इसके तुरंत पश्चात् उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को "अनापत्ति प्रमाण–पत्र" सीधे आयोग को भेजने के लिए निवेदन करते हुए आवेदन कर पावती प्राप्त करते हुए इसे सुरक्षित रखना चाहिए।

¼ii½ यदि ऐसे अभ्यर्थी को आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो उन्हें साक्षात्कार के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन की प्रति एवं उक्त आवेदन की नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा दी गई अभिस्वीकृति (जिसमें आवेदन प्राप्ति की तिथि भी अंकित हो) प्रस्तुत करना होगा।

¼iii½ यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करने में असफल रहते हों, तो ऐसी स्थिति में उनका साक्षात्कार तो लिया जाएगा, परन्तु साक्षात्कार पश्चात् चयन की स्थिति में उन्हें संबंधित संस्था द्वारा भारमुक्त न किये जाने आदि के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति निरस्त किये जाने की स्थिति बनती है तो इसके लिए आयोग/शासन के संबंधित विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

¼8½ vkijkf/kd vfHk;kstu %&

(A) ,sls vH;FkhZ dks vkijkf/kd vfHk;kstu ds fy, nks"kh Bgjk;k tk,xk ftlus vk;ksx us fuEufyf[kr ds fy, nks"kh ik;k gks%&

¼i½ जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसका प्रयास किया हो, या

¼ii½ पररूप धारण (इम्परसोनेशन) किया हो, या

¼iii½ किसी व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो/किया हो, या

¼iv½ फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया हो, या

¼v½ चयन के किसी भी स्तर (Stage) पर असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपायी हो, या

¼vi½ परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या

¼vii½ ijh{kk@lk{kkRdkj d{k esa vuqfpr lk/kuksa dk mi;ksx fd;k gks ;k djus dk iz;kl fd;k gks] ;k

¼viii½ परीक्षा/साक्षात्कार संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या

¼ix½ प्रवेश–पत्र/बुलावा पत्र में अभ्यर्थियों के लिये दी गई किन्ही भी हिदायतों या अन्य अनुदेशों जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक/प्राधिकृत अन्य कर्मचारी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के द्वारा स्थापित व्यवस्था अनुसार मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो, या

¼x½ परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या

¼xi½ NRrhlx<+ yksd lsok vk;ksx ds Hkou ifjlj@ijh{kk dsUnz ifjlj esa ekckby Qksu@lapkj ;a= iz.kkyh dk mYya?ku fd;k gksA

(B) उपरोक्त प्रकार से दोषी पाये जाने वाले अभ्यर्थियों के विरूद्ध आपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकेगी–

¼i½ आयोग द्वारा उस चयन के लिये, जिसके लिए वह अभ्यर्थी है, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी और/या

¼ii½ उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए निम्नलिखित से विवर्जित किया जाएगा–

(a) आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या उसके द्वारा किये जाने वाले चयन से।

(b) राज्य शासन द्वारा या/उसके अधीन नियोजन से वंचित किया जा सकेगा, और

(c) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपरोक्तानुसार किए गए उल्लंघन के लिए उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी,

परन्तु उपरोक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई शास्ति तब तक आरोपित नहीं की जाएगी, जब तक कि–

(i) अभ्यर्थी को लिखित में ऐसा अभ्यावेदन, जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और

(ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विचार न किया गया हो।

¼9½ igpku fpUg %&

उत्तर–पुस्तिका पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना

Øe'k%

अनुक्रमांक लिखें। उत्तर–पुस्तिका के अन्य किसी भाग पर न तो अनुक्रमांक, न अपना नाम और न ही अन्य कोई ऐसा चिन्ह अंकित करें, जिससे परीक्षार्थी की पहचान के बारे में कोई बोध हो सके। उत्तर–पुस्तिका के साथ अन्य कोई सामग्री संलग्न करना भी वर्जित है। परीक्षार्थी अपनी उत्तर–पुस्तिका में किसी भी लाईन को या उत्तर के किसी भी भाग को हाईलाइट नहीं करेगा। fy[kus dk fy, doy dkyh L;kgh dk iz;ksx djsaA उत्तर पुस्तिका में संबंधित विषय से हटकर कोई चित्र, संकेत चिन्ह, धार्मिक चित्र बनाने अथवा शब्द लिखने पर यह पहचान चिन्ह बनाना माना जायेगा। पहचान चिन्ह वाले प्रकरणों में आवेदक को सूचना देना अनिवार्य नहीं रहेगा तथा बिना किसी सूचना के उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जाएगी।

¼10½ vugZrk%& छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगी :–

¼i½ कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नि जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी।

परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

¼ii½ कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक और शारीरिक रुप से स्वस्थ्य और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त ना पाया जाए।

परन्तु आपवादिक मामलों में किसी अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्याधीन अस्थायी रुप से नियुक्त किया जा सकेगा कि यदि उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।

¼iii½ कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसे कि आवश्यक समझी जाए, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

¼iv½ कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

¼v½ कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

¼vi½ कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

¼11½ p;u izfØ;k %& निर्धारित अनिवार्य योग्यताएं, अनुभव न्यूनतम हैं और इन योग्यताओं/अनुभव के होने से ही उम्मीदवार साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं। जब प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होगी और आयोग के लिए सभी उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित करना सुविधाजनक नहीं होगा तो आयोग निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं या अनुभव से उच्च योग्यताओं या अनुभव या दोनों के आधार पर अथवा एक परीक्षा द्वारा साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों की संख्या को यथोचित सीमा तक कम कर सकता है। परीक्षा लेने पर उम्मीदवारों का चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजना आवश्यकतानुसार बाद में आयोग द्वारा जारी किया जावेगा।

¼12½ fyf[kr ijh{kk ds laca/k esa %&

¼i½ यदि आयोग द्वारा लिखित परीक्षा लेने का निर्णय लिया जाता है तो ~~आयोजित लिखित परीक्षा प्रणाली में पुनर्गणना अथवा पुनर्मूल्यांकन का~~ प्रावधान नहीं है। अतः इस संबंध में किसी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

¼ii½ अभ्यर्थी आयोग को लिखित परीक्षा के प्रश्न–पत्र में मुद्रण त्रुटि, प्रश्न–पत्र की संरचना एवं उत्तर में त्रुटि के संबंध में परीक्षा के पश्चात् परीक्षा नियंत्रक, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, शंकरनगर रोड, रायपुर को मय दस्तावेजी प्रमाणों के अभ्यावेदन/शिकायत प्रेषित कर सकता है, जो परीक्षा तिथि के 15 दिवस के भीतर आयोग कार्यालय में अनिवार्यतः प्राप्त हो जाने चाहिए। उक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त अभ्यावेदन/शिकायत पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

¼13½ ;k=k O;; dk Hkqxrku %&

¼i½ छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी को, जो किसी सेवा में न हो तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थी हैं, छत्तीसगढ़ शासन के प्रचलित नियमों के अधीन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने पर साधारण दर्जे का वास्तविक टिकिट किराया राशि का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। अभ्यर्थियों को इसके लिये केन्द्राध्यक्ष को वांछित घोषणा–पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित आवश्यक सभी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होंगे। अतः वे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण–पत्र की स्वयं के द्वारा अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि तथा यात्रा टिकिट घोषणा पत्र के साथ संलग्न करें, तभी उन्हें टिकिट किराया दिया जाएगा।

¼ii½ lk{kkRdkj ds fy;s – साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले उपरोक्त श्रेणियों के अभ्यर्थियों को साधारण दर्जे का वास्तविक टिकिट किराया राशि का भुगतान नियमानुसार dafMdk 13¼i½ में उल्लेखित वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

¼14½ foKfIr esa mYysf[kr 'krsZ@egRoiw.kZ funsZ'k@tkudkjh vkfn dk fuoZpu ¼**Interpretation**½%&

इस विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार आयोग का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं आयोग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।

सही/–

lfpo

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,

रायपुर